रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062020-220081
CG-DL-E-22062020-220081

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154]	नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 2020/आषाढ़ 1, 1942
No. 154]	NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 2020/ASADHA 29, 1942

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरूआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जून, 2020

मामला संख्याः एडीडीडी-ओआय-18/2020

विषय : चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से एल्यूमिनियम फोइल 80 माइक्रोन तथा उससे कम के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरूआत ।

फा. सं. 06/21/2020-डीजीटीआर.—1.मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. रविराज फोइल्स लिमिटेड तथा मै. जिंदल इंडिया लिमिटेड (जिन्हें यहां आगे ''आवेदक'' या ''आवेदक कंपनियां'' भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें चीन जन.गण., मलेशिया, थाइलैंड, इंडोनेशिया और कोरिया गण के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "80 माइक्रोन तथा उससे कम के एल्यूमिनियम फोइल" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरूआत करने का अनुरोध किया गया है।

2. आवेदकों ने आरोप लगाया है कि चीन जन.गण., कोरिया गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हो रही है और उसने इन देशों से संबद्ध वस्तु के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लागू करने का अनुरोध किया है।

संबद्ध देश

3. आवेदकों ने चीन जन.गण., कोरिया गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड से पाटन और क्षति का दावा किया है। तथापि, कोरिया गण. के लिए पाटन मार्जिन न्यूनतम सीमा से कम नोट किया गया है। तद्नुसार, वर्तमान जांच के लिए संबद्ध देश चीन जन.गण., इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड हैं।

विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी)

4. वर्तमान आवेदन में विचाराधीन उत्पाद "एल्युमिनियम फोइल चाहे मुद्रित अथवा पेपर, पेपर बोर्ड, प्लास्टिक या सामान पैकिंग सामग्री में हो अथवा नहीं तथा जिसकी मोटाई 80 माइक्रोन या उससे कम हो (अनुमत सहनशीलता सहित)" है जिसमें निम्नलिखित शामिल नहीं हैं :-

i. चीन के मूल की 5.5 माइक्रोन से 80 माइक्रोन तक की मोटाई वाली एल्यूमिनियम फोइल

ii. एलू एलू लेमिनेट : एए8079 तथा एए8021 में 40-50 माइक्रोन के एलू एलू लेमिनेट एक बहु परतीय अपारदर्शी लेमिनेट होते हैं, जिनमें एल्यूमिनियम फोइल होती है जो गोंद से दोनों ओर से प्लास्टिक फिल्म सहित बैक्ड होते हैं ; पैकिंग, कैप्सूल/टेबलेट में प्रयुक्त होते हैं।

iii. अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड : अल्ट्रा लाइट गेज कन्वर्टेड एक एलयूमीनियम फोइल होती है जिसकी मोटाई 5.5 6 माइक से 7 माइक की होती है और उसके पीछे क्राफ्ट पेपर और स्क्रिम, या ग्लास क्लोथ लगा होता है चाहे इन्सुलेशन में प्रयोग हेतु प्लेन या प्रिंटेड हों, मसालों की पैकिंग, थर्मल फ्लूड लाइन, कवरिंग और टी बैग अनुप्रयोगों के लिए हों।

iv. एल्युमिनियम फोइल कंपोजिट : क्राफ्ट पेपर और ग्लास स्क्रिम या पाली एथीलीन सहित या उसके बिना ग्लास क्लोथ सहित या उससे समर्थित लेमिनेटिड एल्युमिनियम फोइल चाहे मुद्रित हो अथवा नहीं। तथापि, क्राफ्ट पेपर सहित या उससे समर्थित लेमिनेटिड एल्युमिनियम फोइल विचाराधीन उत्पाद और प्रस्तावित उपायों के दायरे के भीतर है।

v. केपिसेटरों के लिए 500 मिमि. से कम चौड़ाई की एल्यूमिनियम फोइल; केपिसिटरों के लिए एल्युमिनियम फोइल 500 मिमि. से कम चौड़ाई सहित 99.35 प्रतिशत शुद्धता के साथ 5 माइक्रोन गेज की एल्यूमिनियम फोइल होती है जिसका प्रयोग रेडियो, टेलिविजन, टेलीफोन, कंप्युटर, माइक्रोवेव ओवन, इलैक्ट्रिकल वेल्डर, मेग्नेटोज, इलैक्ट्रोनिक परीक्षण उपकरण, कॉपी मशीन, एयर कंडीशनर, आटोमोबाइल्स, फ्लूरोसेंट लाइट, मरकरी वेवर स्ट्रीट लैंप, पावर ट्रांसमिशन उपकरण, इलैक्ट्रिक मोटर, कंट्रोल यूनिट और इसी प्रकार की वस्तुओं जैसे विद्युतीय उपकरण में किया जाता है।

vi. एच्ड या फोम्ड एल्युमिनियम फोइल्स : एच्ड या फोम्ड एल्युमिनियम फोइल्स ऐसी एल्युमिनियम फोइल होती है जो इलैक्ट्रोलिटिक केपिसिटर के विनिर्माण में प्रयुक्त होती है।

vii. एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल : एल्युमिनियम कंपोजिट पैनल एल्युमिनियम की दो पतली परतों के बीच बॉडेड गैर-एलयुमिनियम कोर (प्राय: पी ई) होता है जिसका प्रयोग फैकेड प्लैडिंग और फाइनेज में होता है।

viii. क्लैड विद कंपेटिबल नान क्लैड एल्युमिनियम फोइल : क्लैड विद कंपेटिबल नान क्लैड एल्युमिनियम फोइल एल्युमिनियम सतह परतों से निर्मित जंगरोधी एल्यूमिनियम शीट होती है जिसे धात्विक रूप से उच्च मजबूती वाले एल्युमिनियम एलॉय कोर मैटीरियल से जोड़ा जाता है जो आटोमोटिव उद्योग

में इंजिन कूलिंग और एयर कंडीशनर प्रणाली में प्रयुक्त होता है जैसे रेडिएटर, कंडेंशर, ईवेपोरेटर, इंटरकूलर, ऑयल कूलर और हीटर ।

ix. बीयर बोटल के लिए एल्यूमिनियम फोइल : खुदरी सतह और छिद्रित रूप में 10.5 माइक्रोन की एल्यूमिनियम फोइल चाहे मुद्रित हो अथवा नहीं बीयर बोटल में प्रयोग करने के लिए होती है ।

x. एल्यूमिनियम-मग्नीज-सिलीकॉन आधारित और/या क्लैड एल्यूमिनियम- मैग्नीज-सिलीकॉन आधारित मिश्रण चाहे क्लैड हो अथवा नही; जिनमें 35 एमपीए से अधिक पोस्ट ग्रेजिंग यील्ड मजबूती होती है तथा जो रेडिएटर, चार्ज्ड एयर कूलर, कंडेंशर, ऑयल कूलर, हीटर कोरस, ईवेपोरेटर, हीट वेंटीलेशन और एयर कंडीशनिंग (एचवीएसी) प्रणालियों और उनके कलपुर्जो सहित हीट एक्सचेंजर में प्रयोग के लिए टैरिफ शीर्ष 7607 के अंतर्गत आते हैं ।

5. विचाराधीन उत्पाद उपशीर्ष 7607 के सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 760711, 76071110 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 और 76072010 के अंतर्गत वर्गीकृत है। सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है ।

6. आवेदकों ने उत्पाद के विभिन्न प्रकारों के बीच उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्याओं (पीसीएन) को अपनाने का प्रस्ताव किया है । आवेदकों ने बीयर फोइल और कन्वर्टेड फोइल के रूप में दो व्यापक श्रेणियों के आधार पर पीसीएन का प्रस्ताव किया है । बीयर फोइल एक प्लेट फाइल होती है और कन्वर्टेड फोइल के पीछे पेपर, क्राफ्ट, पोलीएथीलीन आदि लगा होता है ।

7. आवेदकों के सुझाव के अनुसार पीसीएन नीचे दिए गए हैं तथापि, हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरूआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर इस जांच के प्रयोजनार्थ पीसीएन को अंतिम रूप देने के लिए अपनी टिप्पणियां/सुझाव ले सकते हैं ।

फोइल का प्रकार	माइक्रोन रेंज	बेयर/परिवर्तित
एलू एलू स्टॉक	45-60 मिक	
होम फोइल	9 -18 माइक्रोन	
हल्की गेज (एलजी)	7-18 माइक्रोन	
मध्यम गेज (एमजी)	20-60 मिक	बेयर
सेमी रिजिट कंटेनर (एसआरसी)	33 - 80 मिक	
अल्ट्रा लाइट गेज बेयर	5.5 to <7 माइक्रोन	
अल्ट्रा लाइट गेज बेयर	5.5 माइक्रोन से कम	
सिगरेट फोइल	7 मिक से कम	
एसआरसी परिवर्तित	33 - 80 मिक	
मध्यम गेज (एमजी) परिवर्तित	20-60 मिक	
होम फोइल परिवर्तित	9 -18 माइक्रोन	परिवर्तित
हल्की गेज (एलजी) परिवर्तित	7-18 माइक्रोन	

समान वस्तु

8. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देशों से निर्यातित सबद्ध वस्तु और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तु के बीच कोई ज्ञात अंतर नहीं है । घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों आयातित संबद्ध वस्तुओं में भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीयता है । उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थानों पर प्रयोग करते हैं । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं तथा इसलिए नियमावली के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए । अत: वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देशों से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के समान वस्तु माना जा रहा है ।

घरेलू उद्योग और उसकी स्थिति

9. यह आवेदन मै. हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मै. रविराज फोइल्स लिमिटेड तथा मै. जिंदल इंडिया लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है । आवेदकों ने ने दावा किया है उन्होंने न तो संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का आयात किया है और न ही वे संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित हैं । रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए आवेदक के पास भारतीय उत्पादन का प्रमुख हिस्सा है । उपर्युक्त के मद्देनजर और आवश्यक जांच के पश्चात प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक संबंधित नियमावली के नियम 2(ख) के अनुसार पात्र घरेलू उद्योग है और आवेदन नियम 5(3) के अनुसार योग्यता संबंधी मापदंडों को पूरा करते हैं ।

कथित पाटन का आधार

क. चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य

10. आवेदकों ने दावा किया है कि चीन जन.गण को गैर बाजार अर्थव्यवस्था माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैराग्राफ-7 के अनुसार किया जाना चाहिए । आवेदक ने नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) का उल्लेख किया है और यह बताया है कि चीन के उत्पादकों को यह दर्शाने का निर्देश दिया जाना चाहिए कि नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 (3) के अनुसार संबद्ध वस्तु का उत्पादन करने वाले उद्योग में बाजार अर्थव्यवस्था की दशाएं मौजूद हैं । आवेदक ने दावा किया है कि चीन के लिए सामान्य मूल्य को नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 और 8 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए । उचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश ने विचाराधीन उत्पाद की कीमतें या परिकलित मूल्य या भारत सहित अन्य देशों को ऐसे तीसरे देश से कीमतें आवेदक द्वारा न तो उपलब्ध कराई गई हैं और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास ऐसी सूचना उपलब्ध है । इस प्रकार, सामान्य मूल्य को भारत में प्रदत्त या देय कीमत को लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप से समायोजित करके निर्धारित किया गया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय और तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है ।

ख. इंडोनेशिया, मलेशिया, थाइलैंड के लिए सामान्य मूल्य

11. आवेदकों ने दावा किया है कि इंडोनेशिया, मलेशिया और थाइलैंड में कीमत से संबंधित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । आवेदकों ने समुचित तीसरे देश के संबंध में सूचना उपलब्ध नहीं कराई है । यह सूचना किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास भी उपलब्ध नहीं है । इन देशों के लिए सामान्य मूल्य को भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत के सर्वोत्तम अनुमानों में बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय तथा तर्कसंगत लाभ को जोड़ने के बाद उसके आधार पर परिकलित किया गया है ।

ग. निर्यात कीमत

12. संबद्ध देशों के लिए संबद्ध वस्तु की निर्यात कीमत का परिकलन वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डी जी सी आई एंड एस) से प्राप्त सौदावार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है ।

समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, पत्तन व्यय, बैंक प्रभार, कमीशन, अंतरदेशीय मालभाड़ा व्यय (और वैट चीन जन. के मामले में) के लिए समायोजन किए गए हैं।

घ. पाटन मार्जिन

13. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना द्वार स्तर पर तुलना की गई है जिससे संबद्ध देशों से पीयूसी के संबंध में निर्धारित न्यूनतम सीमा से अधिक भारी पाटन मार्जिन का प्रथम दृष्टया पता चलता है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध देशों से पीयूसी का पाटन किया जा रहा है।

क्षति और कारणात्मक संबंध के साक्ष्य

14. आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सूचना पर घरेलू उद्योग को हुई क्षति के आकलन हेतु विचार किया गया है । आवेदक ने समग्र रूप से और भारत में कुल आयातों और खपत की दृष्टि से पाटित आयातों की बढ़ी हुई मात्रा, घरेलू उद्योग की कीमत कटौती और कीमत ह्रासकारी प्रभाव के रूप में जांच अवधि के दौरान पाटित आयातों के कथित पाटन के परिणामस्वरूप क्षति के होने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। आवेदक ने दावा किया है कि उनका कार्य निष्पादन, उत्पादन, क्षमता उपयोग, घरेलू बिक्री मात्रा, बाजार हिस्सा, लाभप्रदता, नकद प्रवाह और नियोजित पूंजी पर आय में संबद्ध देशों से घरेलू उद्ययोग की बिक्री कीमत से और क्षतिरहित कीमत से कम कीमत पर विचाराधीन उत्पाद के आयातों में वृद्धि के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ है । आवेदक ने यह भी दावा किया है कि संबद्ध देशों संबद्ध वस्तु की भारी क्षमताओं और घरेलू बिक्री कीमतों पर आयात कीमत के ह्रासकारी और न्यूनकारी प्रभारों के मद्देनजर घरेलू उद्योग को आगे और क्षति होने की आशंका है । इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हो रही है ।

पाटनरोधी जांच की शुरूआत

15. घरेलू उद्योग के द्वारा या उसकी ओर से विधिवत रूप से साक्ष्यांकित लिखित आवेदन के आधार पर और घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के बारे में घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर स्वयं को संतुष्ट करने के बाद और नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार प्राधिकारी एतद्वारा संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करने जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी, जांच की शुरूआत करते हैं ।

जांच की अवधि (पीओआई)

16. वर्तमान जांच के लिए जांच की अवधि (पीओआई) 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च, 2020 (12 माह) है । क्षति जांच अवधि में 1 अप्रैल, 2016 – 31 मार्च, 2017, 1 अप्रैल, 2017-31 मार्च, 2018, 1 अप्रैल, 2018- 31 मार्च, 2019 और पीओआई की अवधियां शामिल होंगी ।

प्रक्रिया

17. नियमावली के नियम 6 में यथाप्रदत्त सिद्धांतों का वर्तमान जांच में पालन किया जाएगा।

सूचना प्रस्तुत करना

18. कोविड-19 महामारी से उत्पन्न विशेष परिस्थितियों के मद्देजर निर्दिष्ट प्राधिकारी को समस्त पत्र ई-मेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए । यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग खोजने योग्य पीडीएफ/ एम एस वर्ल्ड फामेर्ट में हो और आंकड़ों की फाइलें एमएस एक्सेल फार्मेट में हों ।

19. ज्ञात निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकारों, भारत में संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग को नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से सूचित किया जा रहा है।

20. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी उपर्युक्त पैरा 18 में उल्लिखित ई-मेल पते पर नीचे दी गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र और ढंग से इस जांच से संगत अपने अनुरोध प्रस्तुत कर सकता है।

21. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराए जाने के लिए उसका एक अगोपनीय अंश प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

समय-सीमा

22. वर्तमान जांच से संबंधित कोई सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार सूचना की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर ईमेल पतों adg11-dgtr@gov.in तथा adv12-dgtr@gov.in पर ई-मेल के माध्यम से निर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह नोट किया जाए कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार सूचना और अन्य दस्तावेज मंगाने वाले नोटिस को निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उसे भेजे जाने की तारीख या निर्यातक देश के उचित राजनयिक प्रतिनिधि को दिए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुआ माना जाएगा। यदि विहित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है या प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी नियमावली के अनुसार रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

23. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा वर्तमान मामले में अपने हित (हित के स्वरूप सहित) की सूचना देने और उपर्युक्त समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दी जाती है।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

24. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने या गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार को नियमावली के नियम 7(2) और इस संबंध में जारी की गई व्यापार सूचनाओं के अनुसार उसका अगोपनीय अंश भी साथ में प्रस्तुत करना अपेक्षित है। उपर्युक्त का पालन न करने पर उत्तर/अनुरोध को अस्वीकृत किया जा सकता है।

25. प्रश्नावली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए गोपनीय और अगोपनीय अंश अलग-अलग प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

26. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोध का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।

27. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

28. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना ,जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानत: सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना की विषय वस्तु को तर्कसंगत ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नही है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांशीकरण क्यों सभव नहीं है।

29. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

30. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

31. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

32. नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं। इलैक्ट्रॉनिक रूप में सार्वजनिक फाइल को रखे जाने के तौर तरीके तैयार किए जा रहे हैं ।

असहयोग

33. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

भूपिन्दर एस. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 20th June 2020

Case No. ADD- OI- 18/2020

Subject: Initiation of Anti-Dumping Investigation concerning imports of Aluminium Foil 80 micron and below from China PR, Indonesia, Malaysia and Thailand.

F. No. 06/21/2020-DGTR.—M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. & M/s Jindal India Ltd (hereinafter referred to as the ‘applicants’ or ‘applicant companies’) have filed an application before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).seeking initiation of anti-dumping investigation concerning imports of ‘Aluminium foil 80 micron and below’ (hereinafter referred to as ‘subject goods’ or ‘product under consideration’) originating in or exported from China PR, Malaysia, Thailand, Indonesia and Korea RP.

2. The Applicants have alleged that material injury to the Domestic Industry is being caused due to dumped imports from China PR, Korea RP, Indonesia, Malaysia and Thailand and has requested for imposition of anti- dumping duty on the imports of the subject goods from these countries.

Subject Countries

3. The Applicants have claimed dumping and injury from China PR, Korea RP, Indonesia, Malaysia, and Thailand. However, the dumping margin for Korea RP is noted to be below *de-minimis*. Accordingly, the subject countries for the current investigation are China PR, Indonesia, Malaysia, and Thailand.

Product under Consideration (PUC)

4. The product under consideration in the present application is '"Aluminium Foil whether or not printed or backed with paper, paper board, plastics or similar packing materials of a thickness of 80 micron and below (with permissible tolerances)" excluding the following:

   i. Aluminium foil of thickness ranging from 5.5 micron to 80 micro originating in China.

   ii. Alu Alu Laminate: Alu Alu Laminate of 40 - 50 mic in AA8079 & AA8021,is a multi-layered opaque laminate where Aluminium foil and is backed with plastic film on both side with adhesives; for use in packing capsules/tablets.

   iii. Ultra Light Gauge Converted: Ultra Light Gauge Converted is an Aluminium foil having thickness of 5.5 6 mic to 7 mic which and is backed with kraft paper & scrim, or glass cloth, whether plain or printed for use in insulation, spices packing, thermal fluid lines covering and tea bags application.

   iv. Aluminium Foil Composite: Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper and glass scrim or glass cloth with or without poly ethylene, whether printed or not printed. Aluminium foil laminated with or backed with Kraft paper however is within the scope of the product under consideration and proposed measures.

   v. Aluminum foil for capacitors width below 500 mm: Aluminum foil for capacitors is an Aluminum foil of 5 micron gauge with width below 500 mm 99.35% purity, for use in electrical equipment such as radios, televisions, telephones, computers, microwave ovens, electrical welders, magnetos, electronic testing equipment, copy machines, air conditioners, automobiles, fluorescent lights, mercury vapour street lamps, power transmission equipment, electric motors, control units, and similar articles.

   vi. Etched or formed Aluminium Foils: Etched or formed Aluminium Foils is Aluminium Foil meant to be used in the manufacture of Electrolytic Capacitor.

   vii. Aluminium composite panel: Aluminium composite panel is a non-aluminium core (often PE) bonded between two thin layers of aluminium, for use in facade cladding and signage.

   viii. Clad with compatible non clad Aluminium Foil: Clad with compatible non clad Aluminium Foil is a corrosion-resistant Aluminium sheet formed from Aluminium surface layers metallurgically bonded to high-strength Aluminium alloy core material for use in engine cooling and air conditioner systems in automotive industry; such as radiator, condenser, evaporator, intercooler, oil cooler and heater.

   ix. Aluminium Foil for beer bottle: Aluminium Foil of 10.5 micron with rough surface and perforated whether printed or not; to be used in beer bottle.

   x. Aluminium- Manganese- Silicon based and/ or clad Aluminium- Manganese- Silicon based alloys, whether clad or unclad: with post brazing yield strength greater than 35 MPA, falling under tariff heading 7607 for use in heat exchangers including radiators, charge air coolers, condensers, oil coolers, heater cores, evaporators, heat ventilation and air conditioning (HVAC) systems and parts thereof.

5. The product under consideration is classified under subheading 7607 of the Customs Tariff Act 760711, 76071110 76071190, 760719, 76071910, 760719 91, 760719 92, 760719 93, 760719 94, 760719 95, 760719 99, 760720, 76072010 and 76072010. The customs classification is indicative only and is not binding on the scope of the product under consideration.

6. The Applicants have proposed for the adoption of Product Control Numbers (PCNs) for the fair comparison between different types of products. The Applicants have proposed the PCNs based on the two broad categories as bare foil and converted foil. Bare foil is plain foil and converted foil is backed with paper, kraft, polyethylene etc.

7. The PCNs as suggested by the Applicants are given below. The interested parties however, can provide their comments/suggestions for the finalization of PCNs for the purpose of this investigation within 15 days from the date of initiation of this investigation.

Type of Foil	Micron Range	Bare/converted
Alu Alu Stock	45-60 mic	Bare
Home Foil	9 -18 micron	
Light Gauge (LG)	7-18 micron	
Medium Gauge (MG)	20-60 mic	
Semi Rigid Container (SRC)	33 - 80 mic	
Ultra Light Gauge Bare	5.5 to <7 micron	
Ultra Light Gauge Bare	Below 5.5 micron	
Cigarette Foil	Below 7 Mic	
SRC Converted	33 - 80 mic	Converted
Medium Gauge (MG) Converted	20-60 mic	
Home Foil Converted	9 -18 micron	
Light Gauge (LG) Converted	7-19 icron	

Like Article

8. The Applicants have claimed that there is no known difference between the subject goods exported from the subject countries and that produced by the domestic industry. Subject goods produced by the domestic industry and imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers use the two interchangeably. The Applicants have further claimed that the two are technically and commercially substitutable and, hence, should be treated as like article under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the Applicants in India are being treated as 'Like Article' to the subject goods being imported from the subject countries.

Domestic Industry & Standing

9. The Application has been filed by M/s Hindalco Industries Ltd., M/s Raviraj Foils Ltd. & M/s Jindal India Ltd. The Applicants have claimed that they have neither imported the subject goods from the subject countries nor are related to any exporter or producer of subject goods in the subject countries or any importer of the PUC in India. Considering the information on record, the Applicant accounts for a major proportion of the Indian production. In view of the above and after due examination, the Authority notes that the Applicants constitutes eligible domestic industry in terms of Rule 2 (b), and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules supra.

Basis of Alleged Dumping

a. Normal Value for China PR

10. The Applicants have claimed that China PR should be treated as a non-market economy and the normal value should be determined in terms of paragraph-7 of Annexure I of the Rules. The Applicants have cited Para 8(2) of Annexure I of the Rules and has stated that the Chinese producers should be directed to demonstrate that market economy conditions prevail in the industry producing the subject goods in terms Para 8(3) of Annexure I of the Rules. The Applicants have claimed that for China, normal value should be determined in accordance with para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. The prices or constructed value of the product under consideration in the appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, including India, has neither been made available by the Applicants nor is this information available with the Authority from any public source. Thus, normal value has been determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits.

b. Normal Value Indonesia, Malaysia, Thailand

11. The Applicants have claimed that the data relating to price in Indonesia, Malaysia, and Thailand is not available. The Applicants have not provided information regarding the appropriate third country. This

information is also not available with the Authority from any public source. The normal value for these subject countries has been estimated on the basis of best estimates of cost of production of subject goods in India along with associated selling, general and administrative expenses, and reasonable profit.

c. Export price

12. The Authority has computed the export price for subject goods for the subject countries based on Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) transaction-wise import data. Adjustments have been made for ocean freight, marine insurance, port expenses, bank charges, commission, inland freight expenses (and VAT in case of China PR).

d. Dumping margin

13. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which prima facie shows dumping margin is above the *de-minimis* level and is significant in respect of the PUC from the subject countries. There is sufficient prima facie evidence that the PUC from subject countries is being dumped into the Indian market by the exporters from the subject countries.

Evidence of injury and causal link

14. Information furnished by the Applicants has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The Applicant have furnished evidence regarding the injury resulting from the alleged dumping of dumped imports during the Period of Investigation in the form of increase volume of dumped imports in absolute terms and in relation to production and consumption, price undercutting and price suppressing effect on the domestic industry. The Applicants have claimed that their performance has been adversely impacted resulting in decline in production, capacity utilisation, domestic sales volumes, market share, profitability, cash flow and return on capital employed as a result of increase in imports of product under consideration from subject countries at a price below the selling price, and non-injurious price of the domestic industry. The Applicants have also claimed that there is a further threat of injury to the domestic industry in view of significant capacities of subject goods in subject countries, and suppressing and depressing effect of import prices on domestic selling prices. There is sufficient prima facie evidence of injury being caused to the domestic industry by dumped imports of subject goods from the subject countries.

Initiation of Anti-Dumping Investigation

15. On the basis of the duly substantiated written application by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the prima facie evidence submitted by the domestic industry, about dumping of the subject goods originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Period of Investigation (POI)

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is 1st April 2019 to 31st March 2020 (12 Months). The injury investigation period will cover the periods 1st April 2016- 31st March 2017, 1st April 2017- 31st March 2018, 1st April 2018- 31st March 2019 and the POI.

Procedure

17. Principles as given in Rule 6 of the Rules will be followed for the present investigation.

Submission of Information

18. In view of the special circumstances arising out of COVID-19 pandemic, all communication should be sent to the Designated Authority via email at email address adg11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.

19. The known exporters, their Government through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time-limit set out below.

20. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time-limit set out below on the email address mentioned in Para 18 above.

21. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other parties.

Time Limit

22. Any information relating to the present investigation should be sent to the Designated Authority via email at the email addresses adg11-dgtr@gov.in and adv12-dgtr@gov.in within thirty days from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting country. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules.

23. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses within the above time limit.

Submission of information on confidential basis

24. Any party making any confidential submission or providing information on confidential basis before the Authority, is required to simultaneously submit a non-confidential version of the same in terms of Rule 7(2) of the Rules and the Trade Notices issued in this regard. Failure to adhere to the above may lead to rejection of the response / submissions.

25. The parties making any submission (including Appendices/Annexures attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file Confidential and Non-Confidential versions separately.

26. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions.

27. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

28. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

29. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

30. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

31. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

32. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties. The modality of maintaining public file in electronic mode is being worked out.

Non-cooperation

33. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

BHUPINDER S. BHALLA, Addl. Secy. & Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.06.22 19:30:14 +05'30'